आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
17-02-23	**न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।**	

एस०ए०आर० वाद सं०-62/16-17

जयराम टोप्पो, पिता स्व. झीपा उराँव,
निवास ग्राम–नया टोली मोरहाबादी,
थाना बरियातु, जिला राँची ... प्रथम पक्ष।

बनाम

(1) सागरमल मुरारका, पिता देवचंद मुरारका
(2) अंजना देवी, पति पवन चन्द जैन,
(3) मीना देवी, पति मूलचन्द जैन
(4) महाबीर प्रसाद सेट्ठी पिता डंगा लाल सेट्ठी
(5) संजय कुमार खेमका, पिता सीबी खेमका
(6) संजय कुमार जैन पिता आर.सी. जैन
सभी निवास ग्राम–नया टोली मोरहाबादी, थाना बरियातु, जिला राँची .... द्वितीय पक्ष गण।

आदेश

प्रथम पक्ष जयराम टोप्पो, पिता स्व. झीपा उराँव, निवास ग्राम–नया टोली मोरहाबादी, थाना बरियातु, जिला राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। प्रथम पक्ष ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन द्वितीय पक्ष गण (1) सागरमल मुरारका, पिता देवचंद मुरारका, (2) अंजना देवी, पति पवन चन्द्र जैन, (3) मीना देवी, पति मूलचन्द जैन, (4) महाबीर प्रसाद सेट्ठी पिता डंगा लाल सेट्ठी, (5) संजय कुमार खेमका, पिता सीबी खेमका, (6) संजय कुमार जैन पिता आर.सी. जैन, सभी निवास ग्राम–नया टोली मोरहाबादी, थाना बरियातु, जिला राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

क्र०पृ०व०

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा
मोरहाबादी	192	84	1155	13 कट्ठा 32 छटांक

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन आर.एस. खतियान में महादेव उराँव के नाम से दर्ज है और आवेदक खतियानी रैयत के परपोता है। विपक्षी गण गलत ढंग से आदिवासी भूमि को हडप लिया है, जिसे वापस की जाय।

द्वितीय पक्ष गण अपने लिखित ब्यान में कहा है कि उपरोक्त जमीन को जयराम उराँव वल्द झीपा उराँव ने अनील कुमार जैन एवं अन्य पर पूर्व में जमीन वापसी का वाद दाखिल किया था, जिसका एस.ए.आर. वाद सं.–74/92–93 है, तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी श्री ओ.पी.वर्मा के न्यायालय ने सभी पक्षो को सुनते हुए दिनांक–15.04.1994/22.04.1994 को आदेश पारित किया कि *"जमीन का हस्तांतरण उपायुक्त के अनुमति से हुआ है और जमीन अभी भी क्रेता के उत्तराधिकारी के पास ही है। इसलिय इस पर हस्तक्षेप करने का अथवा उपायुक्त के अनुमति के विरूद्ध जॉच करने की क्षमता इस न्यायालय को नहीं है। इसका उचित न्याय अगर अनुमति का उलंघन हुआ है तो किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा ही सम्भव है। यहाँ इस वाद की कार्यवाही स्थगित की जाती है।"*

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर पूर्व में भी छो०का० अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के तहत एस०ए०आर०वाद सं०–74/92–93 दायर किया गया था। तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची द्वारा दिनांक–15.04.1994/22.04.1994 को सुनवाई की कारवाई आदेश पारित किया जा चुका है। नियमानुसार संबंधित पक्ष द्वारा इस आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर किया जाना चाहिए था। पुनः धारा 71"A" के तहत वाद समक्ष न्यायालय में ही दायर किया गया है, जो रेस जुडीकाटा (Res-

कृ०प०उल्टे

Judicata) से प्रभावित है। अतः पूर्व के पदाधिकारी के आदेश *"जमीन का हस्तांतरण उपायुक्त के अनुमति से हुआ है और जमीन अभी भी क्रेता के उत्तराधिकारी के पास ही है। इसलिय इस पर हस्तक्षेप करने का अथवा उपायुक्त के अनुमति के विरूद्ध जाँच करने की क्षमता इस न्यायालय को नहीं है। इसका उचित न्याय अगर अनुमति का उलंघन हुआ है तो किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा ही सम्भव है। यहाँ इस वाद की कार्यवाही स्थगित की जाती है।"* के अनुपालन करते हुए वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

17-02-23

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

17-02-23

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.09 14:52:03 +05:30
Location: 192.168.51.130